

मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी

MAULANA AZAD NATIONAL URDU UNIVERSITY

(संसद के अधिनियम १९९८ द्वारा स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा "ए" ग्रेड प्राप्त)

प्रशासन अनुभाग



सं. मानू/प्रशासन-III//मि.120/2019-20/839

दिनांक- 29 अप्रैल, 2019

अधिसूचना

विषय: मानू-प्रशासन-संशोधित दरों पर पेंशनभोगियों/ कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में।

- संदर्भ:** 1. भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 06.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं.42/04/2019-पी एवं पीडब्ल्यू (डी)।
2. दिनांक 29.04.2019 को कुलपति द्वारा अनुमोदित।

उद्धृत पत्र के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत को सातवें वेतन आयोग के अनुसार 9% की मौजूदा दर से 12% की बढ़ी हुई दर पर तत्काल प्रभाव से 01 जनवरी, 2019 से अपनाया गया है, जो कि कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार के अंतर्गत उद्धृत संदर्भ कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित है।

(Handwritten Signature)

कुलसचिव

सेवा में

वित्त अधिकारी (संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)

सभी अध्ययन संकायों के डीन

सभी शैक्षणिक/ केन्द्र/ डीडीई विभागाध्यक्ष

सभी अनुभाग अध्यक्ष/ प्रभारी (गैर-शैक्षणिक)

सीटीई, आईटीआई / पॉलिटेकनीक, मॉडल स्कूल, महाविद्यालय के प्रधानाचार्य

प्रति :

कुलपति/सम-कुलपति/ कुलसचिव/वित्त अधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय

निदेशक डीडीई/ परीक्षा नियंत्रक

निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)

उर्दू अनुवाद हेतु उर्दू अधिकारी/ हिन्दी अनुवाद हेतु हिन्दी अधिकारी

संबंधित मिसिल